



सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

SATPURA NARMADA KSHETRIYA GRAMIN BANK

प्रधान कार्यालय / HEAD OFFICE

800/19, साऊथ सिविल लाईंस, छिंदवाडा (म.प्र.) - 480 001

800/19, SOUTH CIVIL LINE, CHHINDWARA (M.P.)-480 001

(भारत सरकार, मंत्रालय शासन एवं सेंट्रल बैंक का संयुक्त उपक्रम)

अध्यक्ष कक्ष : 07162-244293, : महाप्रबंधक कक्ष : 07162-242690, 243560, फक्स 07162-242112

प्र0का0/साख/05/2012-13/परिपत्र क्रं.44

दिनांक :28.09.2012

प्रति,

समस्त शाखाएँ/ कार्यालय

विभाग प्रमुख प्र.का.

विषय:-ऋणों पर सेवा प्रभारों में संशोधन बाबत।

बैंक द्वारा दिनांक 27.09.2012 को आयोजित निदेशक मंडल कि 27 वीं बैठक में अपनी ऋण योजनाओं को अधिक आकर्षक एवं बाजार प्रतिस्पर्धी बनाने के दृष्टि से ऋणों पर वर्तमान में लागू सेवा प्रभारों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, उक्त सेवा प्रभार बाजार प्रतिस्पर्धी है, जिससे ग्राहक बैंक से ऋण लेने हेतु आकर्षित होंगे एवं इस कारण से ऋण संभाग में वृद्धि संभावित है। उक्त सेवा प्रभार दिनांक 01 अक्टूबर 2012 से प्रभावशिल होंगे।

प्राथमिकता क्षेत्र एवं गैरप्राथमिकता क्षेत्र ऋणों पर सेवा प्रभार

विवरण	सेवा प्रभार दिनांक 01.10.2012 से प्रभावशिल
अग्रिमों- 1) प्राथमिकता/गैरप्राथमिकता क्षेत्र की नगद साख सीमा/कार्यशील पूंजी सीमा एवं प्राथमिकता क्षेत्र के सावधि ऋणों हेतु प्रक्रिया/मूल्यांकन शुल्क जिसमें नान फण्ड बेस सुविधाएँ भी सम्मिलित है। (कृषि ऋणों को छोड़कर) रिटेल ऋण योजना हेतु पृथक से प्रभार दिए गये है। i- रु. 25000/- तक ii- रु. 25000/- से अधिक एवं रु. 2.00 लाख तक iii- रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु.5.00 लाख तक iv- रु. 5.00 लाख से अधिक एवं रु. 50.00 लाख तक v- रु. 50.00 लाख से अधिक एवं रु.100.00 लाख तक vi- रु. 100.00 लाख से अधिक	* निरंक * रु. 500/- * रु. 250/- प्रति लाख या उसका हिस्सा न्यूनतम रु. 500/- * स्वीकृत राशि पर 0.25 % (न्यूनतम रु. 1250/- एवं अधिकतम रु. 12500/-) * स्वीकृत राशि पर 0.30 % (न्यूनतम रु. 15000/- एवं अधिकतम रु. 30,000/-) * स्वीकृत राशि पर 0.40 % (न्यूनतम रु. 40000/- एवं अधिकतम रु. 20 लाख) उपरोक्त प्रभार नवीनीकरण पर भी लागू रहेंगे। नान फण्ड बेस अग्रिमों पर उपरोक्त दर्शित सीमा का 50 % लिया जायेगा। कंसर्टियम अग्रिमों के मामले में कंसर्टियम में हूयी सहमति के आधार पर

<p>2) तदर्थ स्वीकृति (एडहॉक स्वीकृति)</p>	<p>आनुपातिक आधार पर स्वीकृति अवधि हेतु सामान्य प्रभार वसूले जायेंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> • रु. 10.00 लाख तक न्यूनतम रु. 1000/- • रु. 10.00 लाख से अधिक परंतु रु. 100.00 लाख तक न्यूनतम रु. 5000/- • रु. 100.00 लाख से अधिक पर स्वीकृत राशि का 0.04%
<p>3) एलआईसी पॉलीसी/म्यूच्यूल फंड एवं एन.एस.सी. के विरुद्ध अग्रिम-</p> <p>i- रु. 25000/- तक</p> <p>ii- रु. 25000/- से अधिक एवं रु. 1.00 लाख तक</p> <p>iii- रु. 1.00 लाख से अधिक एवं रु. 2.00 लाख तक</p> <p>iv- रु. 2.00 लाख से अधिक</p>	<ul style="list-style-type: none"> * निरंक * रु. 750/- * रु. 2000/- * स्वीकृत राशि पर 1% अधिकतम रु. 15000/-
<p>4) बैंक की स्वयं की सावधि जमा रसीद के विरुद्ध अग्रिम</p>	<p>कोई प्रभार नहीं</p>
<p>5) निरीक्षण शुल्क-</p> <p>i- रु. 50000/- तक</p> <p>ii- रु. 50000/- से अधिक एवं 2.00 लाख तक</p> <p>iii- रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु. 25.00 लाख तक</p> <p>iv- रु. 25.00 लाख से अधिक एवं रु. 50.00 लाख तक</p> <p>v- रु. 50.00 लाख से अधिक एवं रु. 1.00 करोड़ तक</p> <p>vi- रु. 1.00 करोड़ से अधिक</p>	<ul style="list-style-type: none"> * कुछ नहीं * रु. 250/- प्रति निरीक्षण * रु. 1000/- प्रति निरीक्षण * रु. 1500/- प्रति निरीक्षण * रु. 5000/- प्रति निरीक्षण * रु. 10000/- प्रति निरीक्षण
<p>6) बैंक गारंटी पर कमीशन-</p> <p>(1) रु. 1 करोड़ तक अ परफारमेंस गारंटी ब फाइनेंसियल गारंटी</p> <p>(2) रु. 1. करोड़ से अधिक एवं रु. 10 करोड़ तक अ परफारमेंस गारंटी ब फाइनेंसियल गारंटी</p> <p>(3) रु. 10 करोड़ से अधिक अ परफारमेंस गारंटी ब फाइनेंसियल गारंटी</p> <p>(द) गारंटी का नवीनीकरण</p> <p>नोट- जहां शत प्रतिशत तरल प्रतिभूति बैंक के सावधि जमा से 100% प्रतिभूत गारंटी पर</p>	<ul style="list-style-type: none"> * रु. 200+2% प्रति वर्ष * रु. 200+3% प्रति वर्ष * रु. 200+1.5% प्रति वर्ष * रु. 200+2.5% प्रति वर्ष * रु. 200+1% प्रति वर्ष * रु. 200+2% प्रति वर्ष * उपरोक्तानुसार * रु. 100+0.75% प्रति वर्ष

7) प्रतिबद्धता प्रभार (कमिटमेंट चार्जस)	<p>रु. 1 करोड एवं इससे अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा/नगद साख सीमा पर निम्नानुसार प्रतिबद्धता प्रभार वसूला जायेगा-</p> <ul style="list-style-type: none"> * परिचालित/आहरण सीमा के अनआहरित भाग पर 0.25% प्रति वर्ष * परिचालित सीमा पर त्रैमासिक आधार पर 25% का टालरेंस स्तर अनुमत है।
8) गैरप्राथमिकता क्षेत्र के सावधि ऋणों हेतु प्रक्रिया/मूल्यांकन शुल्क-(कृषि ऋणों को छोड़कर)	<ul style="list-style-type: none"> * निरंक * स्वीकृत राशि पर 1% * 0.50% अधिकतम रु. 50,000/-
9) पूर्व भुगतान प्रभार	<p>रु. 20.00 लाख एवं इससे अधिक के स्वीकृत सभी सावधि ऋण खातों पर पूर्व भुगतान राशि पर 1% की दर से पूर्व भुगतान पेनाल्टी ली जाए। (तथापि आवास ऋण पर पूर्व भुगतान पेनाल्टी नहीं ली जायेगी)</p>
10) निम्नानुसार सीमा प्राप्त करने हेतु निधी की प्राप्ति एवं प्रभार निर्माण कने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एगओरी) जारी करना-	<ul style="list-style-type: none"> * रु. 1000/- प्रति प्रमाण पत्र * रु. 2000/- प्रति प्रमाण पत्र * रु. 3000/- प्रति प्रमाण पत्र * रु. 10000/- प्रति प्रमाण पत्र
11) रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अकाउंट्स-	<ul style="list-style-type: none"> * रिस्ट्रक्चर राशि का 0.02% न्यूनतम रु. 500 एवं अधिकतम रु. 5000/- * रिस्ट्रक्चर राशि का 0.03% अधिकतम रु. 15000/- * रिस्ट्रक्चर राशि का 0.05% अधिकतम रु. 10.00 लाख
12) साल्वेसी प्रमाण पत्र जारी करना-	<ul style="list-style-type: none"> * रु. 800/- * रु. 250/- प्रति लाख अधिकतम रु. 5000/- * रु. 10,000/- * रु. 15,000/-

13) सिबिल रिपोर्ट	रु. 50/-
14) रिटेल ऋण योजनाएँ (मूल्यांकन/प्रोसेसिंग शुल्क)-	
(1) सतपुडा नर्मदा आवास ऋण योजना	-स्वीकृत राशि का 1% न्यूनतम रु. 1000/-
(2) सतपुडा नर्मदा ट्रेड योजना-	
(अ) रु. 25000/- तक	-निरंक
(ब) रु. 25000/- से अधिक एवं रु. 2.00 लाख तक	-रु. 250/- प्रति प्रस्ताव
(स) रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु. 100.00 लाख तक	- स्वीकृत राशि पर 0.5%
(3) सतपुडा नर्मदा रियल इस्टेट मार्टगेज-	- स्वीकृत राशि पर 0.5%
(4) सतपुडा नर्मदा रेन्टल-	- स्वीकृत राशि पर 0.5%
(5) सतपुडा नर्मदा व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋण (समस्त)-	- रु. 500/- प्रति प्रस्ताव
(6) सतपुडा नर्मदा दो पहिया चार पहिया वाहन ऋण योजना-	- दो पहिया वाहन रु. 500/- प्रति प्रस्ताव - चार पहिया वाहन रु. 2000/- प्रति प्रस्ताव
(7) रजिस्टर्ड मेडीकल प्रेक्टीशनरों हेतु ऋण योजना (सतपुडा डॉक्टर)	-स्वीकृत राशि पर 0.5%, अधिकतम रु. 10000/-
(8) वेयर हाऊस मालिक को कृषकों/व्यापारियों को देने हेतु ओव्हरड्राफ्ट सुविधा	-स्वीकृत राशि पर 0.50%, अधिकतम रु. 25000/-
(9) शिक्षा ऋण	-निरंक
(10) प्रायवेट/शासकीय गोदामों में भंडारित माल की रसीदों के विरुद्ध	- प्राथमिकता क्षेत्र हेतु वसूले जा रहे प्रक्रिया शुल्क/मुल्यांकन शुल्क के अनुसार
(11) लघु सडक परिवहन परिचालकों (एसआरटीओं) हेतु योजना	
(अ) रु. 25000/- तक	-निरंक
(ब) रु. 25000/- से अधिक एवं रु. 50.00 लाख तक	-स्वीकृत राशि पर 0.5%
(12) मोबाईल रिपेरिंग शॉप	
(अ) 25000/- तक	-निरंक
(ब) रु. 25000/- से अधिक	-स्वीकृत राशि पर 0.5%(न्यूनतम रु. 500/-)
रिटेल ऋण पर अन्य प्रभार-	
(अ) पूर्व भुगतान प्रभार	1. यदि उधारग्रहिता स्वयं के स्रोतों से संपूर्ण ऋण की अदायगी करता है ऐसे प्रकरणों में निरंक 2. जहां ऋण को अन्य बैंक द्वारा टेक ओव्हर किया जाता है ऐसे प्रकरणों में बकाया राशि का 1%

(ब) ऋण किशतों का विलंब से भुगतान करने पर	अतिरिक्त 2% दण्ड ब्याज विलंबित अवधि हेतु अतिदेय राशि पर वसूला जायेगा
<p>15) कृषि ऋणों पर प्रोसेसिंग/ मूल्यांकन शुल्क (अल्पावधि/सावधि ऋणों हेतु)</p> <p>(अ) रु. 50000/ तक (ब) रु. 50000/- से अधिक एवं रु. 2.00 लाख तक (स) रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु. 5.00 लाख तक (द) रु. 5.00 लाख से अधिक</p>	<p>* निरंक * रु. 500/- * रु. 1000/- * प्रति लाख रु. 200/- अधिकतम रु. 1.00 लाख (रु. 3.00 लाख तक स्वीकृत के.सी.सी. ऋणों पर प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाए)</p>
<p>16) कृषि ऋणों (अल्पावधि/सावधि) पर निरीक्षण शुल्क-</p> <p>(अ) रु. 50000/- तक (ब) रु. 50000/- से अधिक एवं रु. 2.00 लाख तक (स) रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु. 25.00 लाख तक (द) रु. 25.00 लाख से अधिक एवं रु. 50.00 लाख तक (ई) रु. 50.00 लाख से अधिक एवं रु. 1.00 करोड तक (फ) रु. 1.00 करोड से अधिक</p>	<p>* कुछ नहीं * रु. 250/- प्रति निरीक्षण * रु. 1000/- प्रति निरीक्षण * रु. 1500/- प्रति निरीक्षण * रु. 5000/- प्रति निरीक्षण * रु. 10000/- प्रति निरीक्षण (रु. 3.00 लाख तक स्वीकृत के.सी.सी. ऋणों पर निरीक्षण शुल्क माफ है)</p>
<p>17) छूट की श्रेणियां</p>	<p>एस.एच.जी., एस.जी.एस.वाय, सभी कमजोर वर्ग के ऋणी, के.सी.सी. ऋण, शिक्षा ऋण, शासन प्रायोजित योजनाओं के ऋण, समस्त स्टाफ ऋण में मूल्यांकन शुल्क/ निरीक्षण शुल्क में छूट दी जायेगी। भूतपूर्व स्टाफ जो सामान्य क्रम में रिटायर हुआ हो वह इस छूट हेतु पात्र है। परंतु ऐसे स्टाफ जिन्होंने त्यागपत्र दिया हो या सेवा से हटाये गये हो को प्रभारों में छूट नहीं दी जायेगी। तथापि भूतपूर्व स्टाफ की विधवाओं को भी प्रकरणों के आधार पर प्रभारों में छूट दी जा सकती है।</p>

नोट: सेवा प्रभारों में प्रकरण दर प्रकरण गुणवत्ता के आधार पर 25% तक की छूट के अधिकार क्षेत्रीय प्रबंधक को एवं 50% तक की छूट के अधिकार महाप्रबंधक को होंगे। यदि किसी प्रकरण विशेष में शतप्रतिशत छूट प्रदान करना हो तब इसके अधिकार बैंक के अध्यक्ष को होंगे।

अतः उपरोक्त निर्देशों के तहत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(सुनील श्रीवास्तव)
मुख्य प्रबंधक (साख)
